

जीएसटी प्रणाली टैक्स दरें तय

जीएसटी प्रणाली

टैक्स दरें तय

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वस्तु एवं सेवा कर की दरों की घोषणा की है. दरों की अब संसद द्वारा पुष्टि की जानी है

- आम आदमी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज सहित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की लिस्ट में शामिल आधी वस्तुओं पर **शून्य** कर होगा
- आम लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुओं पर **5%** की ड्यूटी लगायी जाएगी.
- वस्तु एवं सेवा कर की **12 और 18%** की दो मानक दरें होंगी
- वर्तमान में 30-31% की दर से कर लगाए जाने वाली वस्तुओं पर **28%** की दर से कर लगाया जाएगा

लकड़री कारों, तंबाकू, ठंडे पेय पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं पर उच्चतम टैक्स स्लैब के अलावा अतिरिक्त उपकर भी लगेगा

KBK Infographics